झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल एम0पी0 संख्या–31 वर्ष 2019

प्रकाश सिंह उर्फ ओम प्रकाश सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, पे0–कामदेव सिंह, निवासी ग्राम–चुम्बा, गडगोमा, डाकघर–गडगोमा, थाना–बालुमाथ, जिला–लातेहार .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री विशाल कुमार सिंह, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– श्री नेहरू महतो, ए0पी0पी0।

4/08.02.2019 याचिकाकर्त्ता ने दावा किया कि उसे जी0आर0 सं0 698/2012 के अनुरूप, सिमरिया थाना काण्ड संख्या 39/2012 में झूठा फंसाया गया है, दिनांक 29.11.2017 के आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना किया है, जिसके द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 82 और धारा 83 के तहत प्रक्रियाएं एक साथ जारी की गई हैं।

2. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विशाल कुमार सिंह ने कहा कि दं0प्र0सं0 की धारा 82 ओर धारा 83 को मात्र पढ़ने से यह पता चलेगा कि दं0प्र0सं0 की धारा 82 एवं धारा 83 की प्रक्रियाएं एक साथ जारी नहीं की जा सकती हैं।

3. सूचक के पति के अपहरण और हत्या के आरोप में, आई0पी0सी0 की धारा 364 (ए)/34, 302, 201 के तहत अपराध के लिए सिमरिया थाना काण्ड संख्या 39/2012 दर्ज

किया गया था। याचिकाकर्त्ता का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, हालांकि, जब 31.11.2013 को एक आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया था, तो उसे विचारण के लिए भेजा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता और अन्य सह–अभियुक्त व्यक्ति फरार रहे और इसलिए, मुकदमे को विभाजित कर दिया गया और कुछ आरोपी व्यक्तियों ने सत्र विचारण वाद संख्या 28/2013 के द्वारा विचारण का सामना किया। दिनांक 28.03.2017 के निर्णय द्वारा सह–अभियुक्त मुन्नी देवी, नागेश्वर साव, बिगन साव और मनोरंजन कुमार सिंह को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है। अब, सह–अभियुक्त पवन सिंह और प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ सत्र विचारण वाद संख्या 144/2017 शुरू किया गया है। याचिकाकर्त्ता अभी भी फरार है।

4. उपरोक्त तथ्यों में, दं0प्र0सं0 की धारा 82 के तहत या धारा 83 के तहत प्रक्रिया जारी करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी भी तकनीकी गलती का लाभ याचिकाकर्त्ता को नहीं दिया जा सकता है। याची, जो पहली सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के बाद से सात वर्षो से अधिक समय से फरार है, दं0प्र0सं0 की धारा 482 के तहत कार्यवाही में कोई वैवेकिक राहत के लिए हकदार नहीं है।

5. तद्नुसार, कि0 एम0पी0 सं0 31/2019 को खारिज कर दिया गया है। हालांकि, यदि याचिकाकर्त्ता 25.02.2019 से पहले अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करता है, जो कि सत्र विचारण वाद संख्या 144/2017 में तय की गई अगली तारीख है, और एक जमानत आवदन दाखिल करता है जिसकी एक प्रति विद्वान ए0पी0पी0 को कम से कम 3 दिन

पहले दी गई थी तो उसकी जमानत अर्जी को अधिमानतः उसी दिन सुना जा सकता है, हालांकि, इस याचिका को खारिज करने से प्रभावित हुए बिना।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)